संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापूर मंडल

मासिक बुलेटिन नं- 07 नोव्हेंबर 2018

****

'संरक्षा नियमों का पालन आप पर निर्भर है'

****

भारतीय रेल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए है :-

1. दिनांक 19/11/2018 को करीब 15.07 बजे गाड़ी नंबर जेएसपीके/ केएल, लोको नंबर 24618/डब्ल्यूएजी7/एलडीएच 45/45/3914 रन के लोड़ के साथ मुंबई मंडल के केएलएमजी यार्ड में प्रवेश करते समय, लोको के फ्रंट बोगी के दो पहिये (सामनेवाले दो पहिये) एलएमजी 'ए' केबिन के सामने डिरेल हुए ।

कारण : वरसाइन मे आकस्मिक परिवर्तन

जिम्मेदारी : इंजीनियरी विभाग के कर्मचारी

2. दिनांक 09/11/2018 को 11.52 बजे दक्षिण मध्य रेल के विजयवाड़ा मंडल के गुडूर (जीडीआर) यार्ड में शंटिंग का संचालन करते समय लोको नंबर 2259 ए/डब्ल्यूएपी 4/एलजीडी (लाइट इंजन) आर डी 7 से शंटिंग नेक पर शंटिंग करते समय डेड एंड से टकराके फ्रंट बोगीके दो पहिये डिरेल हो गए ।

कारण : शंटर द्वारा लोको का देरी से नियंत्रण ।

जिम्मेदारी : लापरवाह शंटिंग के लिए लोको पायलट/ शंटर ।

3. दिनांक 21/11/2018 को 14.50 बजे एक डयूमैटिक मशीन, डीटीएस मशीन के साथ जोड़कर (कपल किया गया) बीसीएम मशिन के पिछे एक लाईन क्लियर पर टिकेकरवाडी से रवाना हुआ । 14:52 बजे कि.मी. 463/0 पर बीसीएम मशीन खराब होकर रुक गया और पिछे आनेवाली डयूमैटिक और डीटीएस मशीन बीसीएम मशीन से टकरा गयी ।

कारण : 1) बीसीएम मशीन विफल एवं रुक जाने पर, ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए विफल हो गए कि खतरे का लाल हाथ सिग्नल जोरदार हिलाकर प्रदर्शित किया जाए । (आई आर टी एम एम की पैरा – 4.64)

2) डयूमैटिक मशीन ऑपरेटर पर्याप्त दूरी बनाए रखने में असफल रहें और इसके अलावा अवरोध से पहले मशीन रोकने में असफल रहें ।

जिम्मेदारी : बी सी एम एवं डयूमैटिक मशीन ऑपरेटर

4. दिनांक 17/11/2018 को करीब 00:46 बजे भिगवन में शंटिंग करते समय एक बीसीएन(ई) दक्षिण रेल 30067883696 नए गुड़स शेट लाइन में डीरेल हुआ ।

कारण : अनलोड़ेड मटेरियल से ट्रैक का क्लिएरेन्स सुनिश्चित किए बिना वाणिज्य विभाग द्वारा अनलोडिंग समाप्ति का मेमो जारी किया गया था ।

जिम्मेदारी : 1. ट्रॅक की क्लिएरेन्स सुनिश्चित किए बिना मुख्य माल पर्यवेक्षक/भिगवन द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया ।

2. शंटिंग प्रारंभ करने से पूर्व ट्रॅक सुरक्षित है यह सुनिश्चित करने में गार्ड एवं प्वाइंटसमैन असफल रहें ।

****

कोहरे के मौसम की सावधानिया

- यदि माह में 7 दिनो के लिए कोहरा दिखाई देता है तो अलग से कोहरा सिग्नलमैन की नियुक्ति की जाए ।
- स्टेशन. सं.नि. के अनुसार प्रत्येक स्टे.प्र./स.स्टे.प्र. को उसके स्टेशन के वीीओ की जानकारी होनी जाहिए ।
- यदि कोहरा, धुल, तुफान आदि की वजह से वीटीओ दिखाई नही पडता है तो तुरंत स्टेशन सिग्नलों, एचएस लैम्प आदि को प्रकाशित किया जाए (जलाया जाएं)
- कोहरा सिग्नल मैन कोहरा सिग्नल खंभे (एफएसपी) पर आनेवाली गाडी की ओर 10 मीटर दूरी पर 2 विस्फोटक (पटाखे) रखेगा ।
- कोहरा सिग्नल मैन विस्फोटक से 45 मी. के घेरे (त्रिज्या) के भीतर स्वयं या अन्य किसी को भी प्रवेश निषिध्द करेगा ।
- 'ए' श्रेणी स्टेशन जैसी लाइन क्लियर देने की शर्त बदली जायेगी अर्थात 'बी' श्रेणी स्टेशन पर स्टार्टर सिग्नल तक लाइन क्लियर होनी चाहिए ।
- लोको पायलट हेड लाईट, मार्कर लाईट को चालू (ऑन) करेगा ।
- यदि आनेवाली गाडी का फ्लैशर लाईट दिखाई देता है तब उचित कारवाई की जाएं ।
- लोको पायलट पटरी के उस पार सिग्नल साईटिंग बोर्ड के नीचे दिए गए चूने के सफेद मार्किंग को लगातार देखें । जब विस्फोटक (डेटोनेटर) का विस्फोट किया जाता है तब लोको पायलट रुक-रुक कर सिटी बजाई जाए तथा किसी अवरोध के पहले गाडी रुकवाने हेतु गाडी की गति कम की जाएं ।
- कोहरे के दौरान जब लोको पायलट को लगता है की कोहरे की वजह से दिख नही रहा है तो उसने उसी गति से गाडी चलानी चाहिए जिस गति से वह गाउी को नियंत्रित करके किसी अवरोध से पहले गाडी को खडा कर सके । किसी भी हालात में इसकी गति पूर्ण ब्लॉक पध्दति मे 60 किमी प्रती घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(सुरेश कुमार एन.टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सोलापूर